आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

30.8.2022

नामान्तरण अपील वाद सं0 02/2019–20

गौरीशंकर प्रसाद गुप्ता वगैरह प्रति मुक्तेश्वर दूबे

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, खरौंधी के नामांतरण वाद सं0 108/1982–83 में पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। प्रत्यर्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया।

अपीलार्थीगण विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित है। फलतः प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 प्रस्तुत अपील अपीलार्थीगण के द्वारा अंचल अधिकारी खरौंधी (भवनाथपुर) के द्वारा नामांतरण वाद सं0 108/1982–83 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया जा रहा है। जो लामी उर्फ सरहिया थाना व अंचल खरौंधी जिला गढ़वा के खाता सं0 76, 78, 166 प्लॉट सं0 382, 370 रकबा 1.95एकड़ भूमि पर है।

02 वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत् भूमि जगू साव की खतियानी भूमि है जो अपीलार्थी सं0 1 के पिता है। प्रश्नगत भूमि जगू साव ने केवाला सं0 4850 दिनांक 12.09.1980 से प्लॉट सं0 382 मे रकबा 0.47 एकड़ भूमि का केवाला अपीलार्थी संख्या 1 के नाम कर दखल कब्जा सौंप दिए।

03 इसी प्रकार जगू साव ने केवाला सं0 4852 दिनांक 12.09.1980 से अपीलार्थी सं0 3 के पिता मोतीचन्द साह के नाम प्लॉट सं0 382 में रकबा 0.47 एकड़ एवं प्लॉट सं0 370 में रकबा 0.35 एकड़ का केवाला कर दखल कब्जा सौंप दिए। जिस पर अपीलार्थीगण का दखल कब्जा है।

04 उक्त भूमि का नामांतरण कराने जब अंचल कार्यालय गए तो पता चला कि उक्त भूमि का मांग प्रत्यर्थी के नाम से कायम हो गया है। तब नकल हेतु आवेदन दिया परन्तु अंचल से कहा गया कि अभिलेख नहीं है। तब अपीलार्थी के द्वारा Information की मांग की गई जो उन्हें अंचल कार्यालय के द्वारा सूचना दिनांक 08.08.2022 को दिया गया। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3

अंचल अधिकारी के नामांतरण वाद सं0 108/1982–83 को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:–

01 राजस्व कागजात की छायाप्रति ..... 6 फर्द
02 केवाला सं0 4850 की छायाप्रति ..... 4 फर्द
03 केवाला सं0 4852 की छायाप्रति ..... 4 फर्द

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि 01 प्रस्तुत अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी खरौंधी (भवनाथपुर) द्वारा वर्ष 1982–83 में पारित आदेश के विरूद्ध करीब 36 वर्ष के बाद दायर किया गया है। विगत 36 वर्षो से चल रहे जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार विद्वान न्यायालय को नही है

02 अपील आवेदन पत्र के साथ दायर किए गए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र में 36 वर्ष विलम्ब से अपील दायर करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है

03 प्रस्तुत अपील वाद ग्राम लामी उर्फ सरहिया अंचल व थाना भवनाथपुर वर्तमान अंचल व थाना खरौंधी जिला गढ़वा के खाता सं0 76, 78, 166 प्लॉट सं0 382, 370 रकबा 1.95 एकड़ भूमि के नामांतरण के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् भूमि पर प्रत्यर्थी का दावा प्रमाणित करने के लिए अपीलार्थी का वंश–वृक्षावली दर्शाना आवश्यक है जो इस प्रकार है।

जगू साव

विगन साव गोरीशंकर अक्षरवर साव मोतीचन्द साव सखिचन्द्र गुलाब

प्रतिवादी मुक्तेश्वर अपीलार्थी सं0 01

दूबे के केवाला विक्रेता (मृत)

शशि कुमार द्विवेदी (प्रत्यर्थी) रवि कुमार द्विवेदी

04 जगू साव के जीवन काल में ही अपने पुत्रों के बीच अपने ग्राम लामी उर्फ सरहिया एवं ग्राम खरौधी टोला बजरमरवा स्थित मौरूषी भूमि का बंटवारा कर दिया गया था। बिगन साव के द्वारा उक्त दोनों गॉव में अपने हिस्से में प्राप्त भूमि का बिक्री पूर्व तक जोत कोड़ किया जाता था। बिगन साव ने निबंधित विक्रय पत्र सं0 5206 दिनांक 30.09.1980 के द्वारा

लगातार .....

Scanned with CamScanner

की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

ग्राम लामी उर्फ सरहिया के खाता सं0 76, 78 एवं 166 के भिन्न–भिन्न 19 प्लॉट मिलाकर रकबा 2.55 1/7 एकड़ भूमि तथा ग्राम खरौंधी टोला बजरमरवा के खाता सं0 65, 61, 158, 152, 252, के 35 प्लॉट मिलाकर कुल रकबा 1.92 3/7 एकड़ भूमि नकद विक्रय मूल्य 5,000.00 (पाँच हजार) रूपया में स्व0 मुक्तेश्वर दूबे से बिक्री कर दिया गया था। कालांतर में मुक्तेश्वर दूबे के द्वारा ग्राम खरौंधी टोला बजरमरवा की कुल भूमि 1.92 3/7 एकड़ बिगन साव से बिक्री कर दिया गया। दाखिल खारिज केश नं0 108/1982–83 के द्वारा सिर्फ ग्राम लामी उर्फ सरहिया के भूमि रकबा 2.55 1/7 एकड़ भूमि का दाखिल खारिज स्वीकृत होकर शुद्धि पत्र अंचल अधिकारी भवनाथपुर के द्वारा निर्गत किया गया है। लेकिन राजस्व कर्मचारी के लापरवाही के कारण मांगपंजी II के पृष्ट सं0 195/II पर रकबा 2.55 1/7 एकड़ के स्थान पर 1.95 एकड़ भूमि का सरकारी लगान रसीद निर्गत हुआ है। लेकिन मुक्तेश्वर दूबे आजीवन रकबा 2.55 1/7 एकड़ भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में आजीवन रहे, उनके मरणोंपरान्त उत्तराधिकारी के रूप में उनके दो पुत्र शशि कुमार द्विवेदी एवं रवि कुमार द्विवेदी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है।

05 अपीलार्थीगण के द्वारा अपील आवेदन पत्र के कंडिका 3, 4, 5 में अपीलार्थी सं0 1 गौरी शंकर प्रसाद गुप्ता के द्वारा प्रश्नगत् प्लॉट सं0 382 रकबा 0.47 एकड़ भूमि अपीलार्थी सं0 3 के पिता मोतीचन्द साव के द्वारा प्लॉट नं0 382 में रकबा 0.47 एकड़ एवं प्लॉट सं0 370 में रकबा 0.35 एकड़ दोनों प्लॉट मिलाकर कुल रकबा 0.82 एकड़ का दावा किया गया है। उक्त भूमि अपीलार्थी सं0 1 एवं अपीलार्थी सं0 3 जब अपने–अपने केवाला सं0 4850 दिनांक 12.09.1980 तथा केवाला सं0 4852 दिनांक 12.09.1980 के नामांतरण हेतु आवेदन पत्र केवाला निष्पादन के करीब 39 वर्ष बाद 2019 में अंचल कार्यालय खरौंधी में दायर किए, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्लॉट सं0 382 एवं प्लॉट सं0 370 के भूमि का मांग मुक्तेश्वर दूबे के नाम दाखिल खारिज केश नं0 108/1982–83 के आधार पर चल रहा है। तब अपील आवेदन दायर किया गया है, यह कथन बिल्कुल ही असत्य एवं भ्रामक है। क्योंकि ग्राम लामी उर्फ सरहिया के प्लॉट सं0 380 में रकबा 0.59 3/7 एकड़ भूमि तथा प्लॉट सं0 370 रकबा 0.13 1/7 एकड़ भूमि बिगन साव को हिस्सा में मिला था और उक्त दोनों प्लॉट की भूमि अन्य भूमि के साथ–साथ बिगन साव के द्वारा केवाला सं0 5206 दिनांक 30.09.1980 के द्वारा

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

मुक्तेश्वर दूबे से बिक्री कर दिया गया था। मुक्तेश्वर दूबे के नाम स्वीकृत दाखिल खारिज का विरोध जगू साव एवं उनके पुत्रों के द्वारा नामांतरण स्वीकृति के 36 वर्षो के बाद तक नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण जाली दस्तावेज के आधार पर केवाला का निष्पादन के करीब 39 वर्ष बाद सही तथ्य को छुपाकर दाखिल खारिज का केश अंचल कार्यालय में संधारित ही नहीं हुआ, तब नाहक तंग परेशान करने के नियत से प्रत्यर्थी मुक्तेश्वर दूबे के नामांतरण के विरूद्ध अपील दायर किया गया है जो किसी भी स्थिति में ग्राह्य नहीं है।

06 हाल सर्वे में प्रत्यर्थी के द्वारा विक्रय पत्र सं0 5206 दिनांक 30.09.1980 से खरीद की गई भूमि पर दखल कब्जा पाकर हाल सर्वे में फाईनल खतियान खाता सं0 126 नामे मुक्तेश्वर दूबे एवं खाता सं0 46 नामे दयवन्ती देवी पति मुक्तेश्वर दूबे के नाम से बना है। प्रश्नगत् भूमि पर प्रत्यर्थी का दावा सही वो सत्य है जो लेखात्मक साक्ष्य एवं कब्जा पर आधारित है।

प्रत्यर्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा नामांतरण अपील आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है :–

01 केवाला की छायाप्रति _____ 10 फर्द
02 लगान रसीद की छायाप्रति _____ 1 फर्द
03 हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति _____ 2 फर्द
04 रिसी सिमेंट कम्पनी बनाम् बिहार सरकार की छायाप्रति ____ 2 फर्द
05 जीतन महतो वगैरह बनाम् बिहार सरकार की छायाप्रति ____ 2 फर्द
06 हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति _____ 1 फर्द

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र एवं प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि अपीलार्थी सं0 1 गौरी शंकर प्रसाद गुप्ता पिता स्व0 जगू साह ने तथा अपीलार्थी सं0 3 लक्ष्मण गुप्ता के पिता मोती चन्द साव पिता स्व0 जगू साह ने अपने पिता जगू साह पिता स्व0 बुधु साह से निबंधित केवाला सं0 4850 दिनांक 12.09.1980 तथा केवाला सं0 4852 दिनांक 12.09.1980 से प्रश्नगत् भूमि क्रय किये है लेकिन उनके द्वारा अपने केवाला से प्राप्त किये गए भूमि का नामांतरण नहीं कराया गया है।

लगातार _____

Scanned with CamScanner

... की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रत्यर्थी मुक्तेश्वर दूबे पिता स्व0 बिन्दा दूबे ने भूमि विक्रेता बिगन साह पिता जगू साह से निबंधित केवाला संख्या 5206 दिनांक 30.09.1980 के द्वारा प्रश्नगत् भूमि क्रय किये है जिसका नामांतरण वाद सं0 108/1982–83 से नामांतरण के पश्चात् लगान रसीद निर्गत है। प्रत्यर्थी के केवाला के विरूद्ध प्रश्नगत् भूमि पर अपीलार्थी के द्वारा दावा/आपत्ति किसी भी सक्षम न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। अपीलार्थीगण के द्वारा प्रत्यर्थी के केवाला सं0 5206 निर्गत तिथि 30.09.1980 के लगभग 39 वर्ष के पश्चात् प्रश्नगत् भूमि पर दावा कर रहे है। जो विधि संगत नहीं है जैसा कि Rishi Cement company Ltd. v/s State of Bihar and others on 09 July, 2004 Equivalent citation: BLJR 1690, 2004(4) JCR 64 Jhr में आदेश पारित है।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए नामांतरण वाद सं0 108/1982–83 में पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जाता है।

इस आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/VIII

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

30/VIII

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.14 13:26:23 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner